भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3191

उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2025 (बुधवार)

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

प्रश्न

पीएम-डिवाइन पहल के तहत परियोजनाएं

†3191. श्री तापिर गावः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के तहत परियोजनाओं का समय पर निष्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में प्रशासनिक और संभार-तंत्र संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पीएम-डिवाइन के अंतर्गत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या पीएम-डिवाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान मिलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) पीएम-डिवाइन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा किया जाता है और इन परियोजनाओं की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/आईए की होती है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भी विभिन्न स्तरों पर पीएम-डिवाइन के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की सूक्ष्मता से निगरानी करता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/एनईसी के अधिकारी नियमित आधार पर चुनिंदा परियोजनाओं का निरीक्षण करते हैं।

मंत्रालय द्वारा सभी 08 पूर्वोत्तर राज्यों में फील्ड तकनीकी सहायता इकाइयाँ (एफटीएसयू) स्थापित की गई हैं, जो नियमित रूप से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बातचीत करती हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के गति शक्ति पोर्टल पर परियोजनाओं के डेटाबेस का अनुरक्षण और अपडेट करती हैं और चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण भी करती हैं।

निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ करने तथा पीएम-डिवाइन सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत चल रही परियोजनाओं के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना गुणवत्ता मॉनिटर/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (पीक्यूएम/टीपीटीआई) इकाइयों को लगाया गया है।

(ख) मणिपुर और मेघालय सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएम-डिवाइन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्रशासनिक और संभार-तंत्र संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी समिति (ईआईएमसी) क्रमशः राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर गठित की गई है।

(ग) पीएम-डिवाइन के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए आईआईटी, एनआईटी आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा परियोजना की डीपीआर की जांच और उसके बाद एसएलईसी और ईआईएमसी द्वारा सिफारिश की आवश्यकता होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि परियोजना में संवहनीयता योजना, लक्षित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), पर्यावरण और वन मंजूरी जैसी वैधानिक मंजूरी आदि शामिल हों ताकि पीएम-डिवाइन के तहत स्वीकृत परियोजनाएं संवहनीय और पर्यावरण के अनुकूल हों।

(घ) पीएम-डिवाइन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कनेक्टिविटी और आजीविका से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में सुधार करती हैं।

*****